>

Title: Need to increase the amount of insurance coverage being provided to the Beedi workers under Health Insurance Scheme in Rampur Parliamentary Constituency.

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा बीड़ी श्रमिकों के लिए वर्ष 1976 में बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम बनाया गया था। इस निधि के अन्तर्गत भारत सरकार से श्रम मंत्रालय द्वारा बीड़ी श्रमिकों के स्वास्थ्य कल्याण के लिए कई योजनाएं दी गयी थीं। लेकिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, वैस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत वर्ष में 43 लाख से ज्यादा बड़ी तादाद में बीड़ी मजदूर इस पर निर्भर हैं।[MSOffice2] उनके लिए ऐसी कोई स्वास्थ्य योजना बनाने के लिए सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मेरे क्षेत्र में 40,000 से अधिक बीड़ी मजदूर हैं जिनमें से लगभग 75 प्रतिशत महिलाएं हैं। इनका काम ऐसा है कि ये लोग स्वास्थ्य से वंचित रहते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जो हमारे बीड़ी मजदूर हैं, उनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।...(व्यवधान)

MR. SPEKAER: Please conclude.

SHRIMATI JAYAPRADA : Sir, please give me little more time.

MR. SPEAKER: You have raised the issue. The question is of raising the issue.

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, वे लोग रोज़ाना हजार बीड़ी बनाते हैं, पर उनको 40 रूपए मिलते हैं, उनकी मांग है कि इसके लिए उनको 90 रूपए मिलने चाहिए, लेकिन वह उनको नसीब नहीं होता है। उनके स्वास्थ्य के लिए इस क्षेत्र में रहते हुए, इनके बीड़ी बनाने की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब होता है, कुछ लोगों पर ट्युबरकुलोसिस का अटैक होता है, कुछ लोग दमा के मरीज हो जाते हैं और कुछ लोगों को हाथ गल जाते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि उनके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बीमा कार्ड जैसा कुछ भी नहीं है। मैं यह अनुरोध करना चाहती हूं कि इनके लिए स्वास्थ्य बीमा कार्ड में 25,000 रूपए का क्रेडिट बने जिससे पूरे देश में उनका इलाज हो सके। अगर एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु होती है तो एक लाख रूपए और नेचुरल डेथ होने पर 1 लाख रूपए देने की व्यवस्था अगर की जाए तो ऐसे लोगों का और उनके परिवार का कल्याण हो सकता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हाथ उठाने से मौका नहीं मिलेगा। मेरे पास सभी के नाम हैं, इसे देखकर ही सभी को बुलाया जाएगा।